

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004032016

दांडिक प्रकरण क.-417 / 16

संस्थापित दिनांक-18.10.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर । <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-मोहन बंजारा पुत्र जैता बंजारा उम्र 32 साल निवासी ग्राम पीपरीधार थाना चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 । <div>.....आरोपी</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.07.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 341, 323, इजाफा 506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है ।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323, 341, 506 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी खेमी बंजारा ने दिनांक 11.08.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को तला के पास वह घास काट रही थी तभी पीछे से उसके गांव का मोहन बंजारा आया और उसकी अकवारी भरके उसकी दोनों छाती भरकर जमीन पर पटक दिया और जब वह चिल्लाई तो डंडे से उसकी मारपीट कर दी जिससे वह बेहोश हो गई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 392/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 341, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 341, 323 एवं 506 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.08.16 को समय 17.00 बजे तला के पास ग्राम पीपरीधार चंदेरी पर फरियादिया खेमीबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 नन्नी बाई, अ.सा. 02 देशराज, अ.सा. 03 खैमीबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 नन्नीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 02 देशराज ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है। अ.सा. 03 खैमीबाई जो कि मामले की फरियादी है, ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को उसका आरोपी से झगडा हो गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके साथ मारपीट की थी तथा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्रपी 05 दिया था। उक्त साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 03 में छेड़खानी के संबंध में लिखाये जाने वाली बात से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मामले की फरियादी तथा अन्य किसी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ छेड़छाड की गई या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)